न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 12/2018

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. श्रवण कुमार पुत्र श्री चतरसहाय जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. विजयपाल पुत्र खम्माराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. दलीप जांगिड पुत्र गोपाल जांगिड, जाति जांगिड, निवासी राणी सती पुलिस चौकी के सामने, सीकर, तहसील व जिला सीकर।
2. गिरधारीसिंह पुत्र भूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी लालसिंह कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर।
3. बाल मोहन जांगिड पुत्र श्री मक्खनलाल जांगिड, जाति जांगिड, निवासी वार्ड नं 18, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. रामस्वरूप पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नं0 5 मण्डावा, जिला झुंझुनूं। **(मृत नाम हजफ)**
5. श्रीचन्द पूनिया पुत्र भीवाराम, जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 9 मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. कैलाश शर्मा पुत्र नरोतमलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. अरविन्द पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नं0 5 मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
8. अंजु देवी पत्नी कैलाशचन्द्र शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. माफी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी जरिए पुजारी निवासी मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अ0 धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956 एवं अ0 धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट— प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की ओर से।
2. श्री विक्रम दूलड, एडवोकेट— अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 की ओर से।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— अप्रार्थी सं0 9 व 10 की ओर से।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 04.05.2022

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश है कि ग्राम मण्डावा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 7.23 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 रकबा 26 बीघा 14 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 12 बिश्वा पुख्ता दर्ज रहे है जो कि उक्त कृषि भूमि मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की माफी की भूमि है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व मिसल हैकियत 1999 में भूमि खसरा नम्बर 206 व 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 कुल रकबा 28 बीघा 12 बिश्वा पुख्ता की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज की भूमि रही है। माफी मन्दिर की भूमि की खातेदारी हकूक व कब्जा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकता है। मूर्ति मन्दिर जो कि शाश्वत नाबालिग है उक्त भूमि की रक्षा कराना लैण्डर होल्डर तहसीलदार का दायित्व है लेकिन लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत नही करने पर ग्रामीणवासी जो मूर्ति में आस्था रखते है वैसे भी मूर्ति में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति मूर्ति मन्दिर की रक्षार्थ रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकता है इसलिए आवेदकगण द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2012 से सम्वत 2020 तक लगातार की जमाबन्दी में उक्त अंकन अनुसार मूर्ति मन्दिर की नाम चली आ रही है व मिलान हैकियत संवत 1999 में उक्त भूमि खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम चली आ रही है। जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके के बिना नामान्तरकरण के निजी व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो पलटने योग्य है ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त भूमि हमेशा से मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम से रही है ग्रामवासियों की उक्त मन्दिर के काफी आस्था रही है वे समय समय पर मन्दिर में अपनी आराधना व मन्नत मांगने आते रहते है मन्दिर मे काफी पुराना मेला भरता था जिसमें काफी संख्या में लोग दूर–दूर से आते जाते रहे है। इसलिए कस्बे/ग्रामवासियो की उक्त मन्दिर में आस्था रही है जिसका उपयोग आमतौर पर जनसाधारण के काम में आती रही है। उक्त भूमियों की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना कानूनी गलत है उक्त प्रकार के किये गये अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित किये गये है उक्त भूमि के बारे में किये गये समस्त प्रकार के [illegible] समस्त प्रकार की आज तक की गई रद्दोबदल प्रारम्भ से ही शून्य है। मूर्ति [illegible] भूमि में किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी खातेदारी हकूक [illegible] अनावेदकगण 1 लगायत 8 को उक्त भूमि में कोई खातेदारी हक [illegible] गलत राजस्व रिकार्ड काबिले दुरूस्ती है और न्यायहित मे [illegible] गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में पुनः मूर्ति मन्दिर की भूमि दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 16:30:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 7.23 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं की खातेदारी अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के खाते से हटाई जाकर पुनः मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जाने का आदेश फरमाया जावे।

2. बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम मण्डावा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 7.23 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 रकबा 26 बीघा 14 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 12 बिश्वा पुख्ता दर्ज रहे है जो कि उक्त कृषि भूमि मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की माफी की भूमि है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व मिसल हैकियत 1999 में भूमि खसरा नम्बर 206 व 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 कुल रकबा 28 बीघा 12 बिश्वा पुख्ता की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज की भूमि रही है। माफी मन्दिर की भूमि की खातेदारी हकूक व कब्जा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकता है। मूर्ति मन्दिर जो कि शाश्वत नाबालिग है उक्त भूमि की रक्षा कराना लैण्डर होल्डर तहसीलदार का दायित्व है लेकिन लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत नही करने पर ग्रामीणवासी जो मूर्ति में आस्था रखते है वैसे भी मूर्ति में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति मूर्ति मन्दिर की रक्षार्थ रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकता है इसलिए आवेदकगण द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2012 से सम्वत 2020 तक लगातार की जमाबन्दी में उक्त अंकन अनुसार मूर्ति मन्दिर की नाम चली आ रही है व मिलान हैकियत संवत 1999 में उक्त भूमि खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम चली आ रही है। जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके के बिना नामान्तरकरण के निजी व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो पलटने योग्य है ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त भूमि हमेशा से मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम से रही है ग्रामवासियों की उक्त मन्दिर के काफी आस्था [illegible] में अपनी आराधना व मन्नत मांगने आते रहते है मन्दिर मे काफी पुराना मेला [illegible] जिसमें काफी संख्या में लोग दूर–दूर से आते जाते रहे है। इसलिए कस्बे/ग्रामवासियों [illegible] उक्त मन्दिर में आस्था रही है जिसका उपयोग आमतौर पर जन[illegible] रही है। उक्त भूमियों की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना कानूनी [illegible] उक्त प्रकार के किये गये अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित किये गये है उक्त भूमि के बारे में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण तथा समस्त प्रकार की आज तक की गई रद्दोबदल प्रारम्भ से ही शून्य है। मूर्ति मन्दिर की भूमि में किसी भी व्यक्ति को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 16:30:56 IST
Reason: SelfAttested

कानूनी खातेदारी हकूक प्राप्त नही होते है। इसलिए अनावेदकगण 1 लगायत 8 को उक्त भूमि में कोई खातेदारी हकूक प्राप्त नही हुए है और उक्त गलत राजस्व रिकार्ड काबिले दुरूस्ती है और न्यायहित में पूर्व की भांति पुनः उसका गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में पुनः मूर्ति मन्दिर की भूमि दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 7.23 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं की खातेदारी अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के खाते से हटाई जाकर पुनः मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थीगण के कथनो का समर्थन कर तर्क प्रस्तुत किया कि संवत् 2012 मे विवादित भूमि की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम रही है। बाद मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से प्रार्थीगण के नाम इर्ज की गई है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

4. वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 ने वकील प्रार्थीगण एवं राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि इस विवादित भूमि के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे दावा चला था जो दिनांक 109.04.2014 को खारिज हो गया। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय की अपील नही की है। उक्त रेफरेन्स पेश करने वाले प्रार्थी सं0 1 की पत्नि भी विवादित भूमि की खातेदार है। पैसों को लेकर हुए विवाद के कारण यह रेफरेन्स पेश किया गया है। प्रार्थीगण का इरादा मंदिर की जमीन बचाने का नही है। अतः प्रार्थी को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम मण्डावा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 7.23 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 रकबा 26 बीघा 14 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 12 बिश्वा पुख्ता दर्ज रहे है जो कि उक्त कृषि भूमि मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की माफी की भूमि है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व मिसल [illegible] 1999 में भूमि खसरा नम्बर 206 व 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 कुल [illegible] बिश्वा पुख्ता की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी महाराज की भूमि है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी तथा वकील प्रार्थीगण व राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की खातेदारी पूर्व मे मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम रही है। अप्रार्थीगण की खातेदारी गलत रूप से वर्तमान रिकार्ड मे दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:56 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः ग्राम मण्डावा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 7.23 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 206/1, 206/2, 206/3, 206/4 रकबा 26 बीघा 14 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 12 बिश्वा पुख्ता दर्ज रहे है की वर्तमान खातेदारी निरस्त करवाने एवं उक्त भूमि की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मण्डावा को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:56 IST
Reason: SelfAttested